उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इन्स्टिटयूशन ऑफ इन्जीनियर्स (आई0) बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर–ISBT माजरा, देहरादून।

अधिसूचना

14.05.2010

संख्याः एफ–9(4)/आर.जी./यूईआरसी/2010/384 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र) विनियम 2004 (मुख्य विनियम) को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :–

1.संक्षित नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ऑम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्यक्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2010 होगा ।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. मुख्य विनियम 5 के उप विनियम 1 में निम्न पहला परन्तुक जोड़ा जाएगा :–

''परन्तु यह कि, किसी भी सुनवाई में वितरण अनुज्ञापी का पेशेवर सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा तब तक प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा, जब तक ऑम्बड्समैन द्वारा अनुमति न दी जाए। तथापि, जहॉ उपभोक्ता सलाहकार, एटार्नी या वकील के द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का चुनाव करे, तब वितरण अनुज्ञापी को भी यह अधिकार दिया जायेगा।''

आयोग के आदेश द्वारा

पंकज प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

यह विनियम अंग्रेजी विनियम अधिसूचना दिनांक 14.05.2010 का हिन्दी रूपान्तरण है किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।